

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/ 1202602200900017/अ-82/भू-अर्जन/2025-266 कोण्डागांव, दिनांक 14/10/2026

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित रांधना-देवहरदूली मार्ग के कि.मी. 2/8 पर बासानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग हेतु ग्राम -देवहरदूली, तहसील-माकड़ी, जिला-कोण्डागांव (छ0ग0) के निजी भूमि कुल रकबा 0.314 हेक्टेयर भूमि के मुआवजा प्रकरण में सामाजिक समाघात में गठित अध्ययन दल के द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर जिला स्तरीय विशेषज्ञ समूह दल के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तथा लोकहित में उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन की अनुशंसा की गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन-

1. जिला - कोण्डागांव
2. तहसील - माकड़ी
3. ग्राम - देवहरदूली
4. भूमि का क्षेत्रफल- 0.314 हेक्टेयर

क्रं0	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
		देवहरदूली	
1	1/71	1.214	0.154
2	26/3	0.202	0.080
3	27	0.344	0.080
	कुल योग :- 03	1.760	0.314

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(नूपुर राशि पन्ना)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक/ 4445A /202602200900017/अ-82/भू-अर्जन/2025-26 कोण्डागांव, दिनांक 14/10/2026

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जिला उत्तर बस्तर कांगेर (छ0ग0) को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करके हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ0ग0) को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार माकड़ी को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसीलदार माकड़ी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव, कलेक्टर जिला-कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-रांधना, कार्यालय जनपद पंचायत माकड़ी में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ0ग0) को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।

(नुपूर राशि पन्ना)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग